SHRI OM MEHTA: Kashmiri apples are rare sometimes.

We have noted whatever he has said about these arms and hand granades and we will try to find out what are their sources and leakages. And then you, Sir, when you were there, referred to some talk regarding certain clues with the police and that they have also pointed out something, about some threatening letters. At this stage, I would only like to inform this House that the Chief Justice had received a threatening letter some time towards the end of January last. But he did not take any notice of that. He has, however, handed over it to the police after the last evening's incident. I will not like to say anything beyond this just now because it will affect the course of the investigation.

SHRI BHUPESH GUPTA: We have made a request to you for a discussion also. The discussion should be held. In the Lok Sabha, they have already agreed to it. We have given an ordinary motion, a 'No-day-yet-named Motion". I think it should be accepted. In the other House, it is being discussed. Do not debar discussion on the ground that we are adjourning. We will sit, we will find time during this session in order to have this matter discussed.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. B. RAJU): We will consider it.

SHRI BHUPESH GUPTA: I hope the Minister of Parliamentary Affairs will accommodate us.

MESSAGES FROM THE LOK SABHA

I. The Pondicherry Appropriation Bill, 1975

II. The Pondicherry Appropriation (Vote on Account) Bill, 1975

SECRETARY-GENERAL: Sir, I have to report to the House the following messages received from the Lok Sabha, signed by the Secretary-General of the Lok Sabha: —

(1)

"In accordance with the provisions of Rule 96 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha, I am directed to enclose herewith the Pondicherry Appropriation Bill. 1975, as passed by Lok Sabha at its sitting held on the 20th March, 1975.

2. The Speaker has certified that this Bill is a money Bill."

(2) "In accordance with the provisions of Rule 96 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha, I am directed to enclose herewith the Pondicherry Appropriation (Vote on Account) Bill. 1975, as passed by Lok Sabha at its sitting held on the 20th March, 1975.

2. The Speaker has certified that this Bill is a money Bill."

Sir, I lay a copy of each of the Bills on the Table.

RESOLUTION *RE* NECESSARY STEPS TO CHECK THE EVER-INCREASING USE OF MONEY POWER AND MISUSE OF GOVERNMENT MACHINERY IN ELECTIONS— *Contd.*

श्री प्रकाशवीर शास्त्री (उत्तर प्रदेश) : उपसभापति जी, निर्वाचन प्रणाली में सुधार सम्बन्धी विधेयक पर अपने प्रस्ताव को प्रस्तुत करने से पूर्व मैं इस बात पर विशेष रूप से बल देना चाहता हूं कि इस पर दलीय स्तर से ऊपर उठ कर विचार किया जाए । कारण यह भी है कि इस निर्वाचन प्रणाली में सुधार के लिए प्राय: प्रत्येक राजनीतिक दल—सत्ताधारी दल से भी मेरा अभिप्राय है – सभी ने इसमें सुधार की अपेक्षा की है । अभी कुछ दिन पहले जब दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन का प्रारंभ हुआ तो राष्ट्रपति जी ने भी अपने भाषण में इसकी चर्चा की और प्रधान मंत्री ने भी दो तीन स्थानों पर इसके सम्बन्ध में वक्तव्य दिये हैं । अगर हमारे कांग्रेसी मित्र इस बात को सुन कर विदकें नहीं तो श्री जयप्रकाश

नारायण को समग्र क्रान्ती में भी निर्वाचन प्रणाली में सुधार को विशेष रूप से सम्मिलित किया गया है। अभी श्री तारकुंडे की अध्यक्षता में एक समिति का निर्माण किया गया उसने अपना प्रतिवेदन भी दे दिया है। कुछ समय पहले दोनों सदनों की एक संयुक्त प्रवर समिति इसके लिए बैठी थी। उसने भी अपने कुछ सुझाव निर्वाचन प्रणाली में सुधार के लिए दिए हैं। उनमें कुछ सुझाव सर्वसम्मत भी हैं। अभी हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय के कुछ निर्णय इस प्रकार के हुए हैं जिनको देखने से पता लगता है कि निर्वाचन प्रणाली में हमारे लिए सुधार बहुत आवश्यक हो गया है। विधि आयोग के भी कुछ सुझाव इस प्रकार के थे जिससे प्रतीत होता है कि वे भी इसे चाहते हैं कि निर्वाचन प्रणाली में सुधार होना चाहिए। एक प्रकार से यह स्वीकृत तथ्य है कि निर्वाचन प्रणाली से संबंधित जितने भी राजनीतिक पक्ष हैं, प्रशासनिक पक्ष हैं उन सभी की इच्छा है कि निर्वाचन प्रणाली में अपेक्षित सुधार किए जाएं। निर्वाचन प्रणाली निष्पक्ष होनी ही जरूरी नहीं है निर्वाचन प्रणाली को निष्पक्ष झलकना भी जरूरी है।

पिछले कई वर्षों से चुनाव पद्धति को लेकर देश में कई तरह की आशंकाएं व्याप्त हो रही हैं। मेरा अपना अनुमान है कि अगर किसी दिन इस चुनाव पद्धति से जन-साधारण का विश्वास उठ गया तो हमारे प्रजातंत्र के इतिहास में वह बड़ा दुर्भाग्य का दिन होगा। मैं यह कहना चाहता हूं कि अभी तो बेटी बाप के घर है, अभी कुछ अधिक बिगड़ा नहीं है इसलिए इस पद्धति में अभी भी जितना जल्दी हो सके, सुधार कर लिया जाए।

मैं अपने सुझावों का प्रारंभ करना चाहता हूं मतदान की आयु 21 वर्ष से घट कर 18 वर्ष करने से। इसके संबंध में मेरी युक्ति यह है कि जब सरकारी नौकरियों में प्रवेश का अधिकार 18 वर्ष के व्यक्ति को मिल गया है, लाखों करोड़ों की सम्पत्ति को बेचने और खरीदने का अधिकार कानूनी उनको दे रखा है, विवाह का अधिकार उनको है, सेना में वे भर्ती हो सकता है। कोई भी 18 वर्ष का व्यक्ति सेना में भर्ती हो सकता है और तीन वर्ष के बाद वह अधिकारी हो सकता है, सेना की कमांड कर सकता है, आदेश दे सकता और मोर्चे पर जा कर अपनी जान दे सकता है, लेकिन उसका यह दुर्भाग्य है कि हमारी प्रजातंत्री पद्धति में मतदान में भाग नहीं ले सकता.

लगभग 9 करोड़ इस प्रकार के युवक इस देश में हैं जो सरकार का इस प्रकार का निर्णय न होने के कारण से आज मतदान से वंचित हैं। सरकार इसके विरोध में, जैसा मैंने सुना है, तीन बातें विशेष रूप से कहती है।

एक तो उनका कहना यह है कि अगर 18 वर्ष तक की आयु तक के युवकों को मतदान का अधिकार दे दिया जाए तो उनकी संख्या बढ़ जाने से खर्चा बहुत बढ़ जाएगा। दूसरी दलील यह देते हैं कि अधिकांश युवक जो गांव में रहने वाले है, अशिक्षित हैं वे मत का सही उपयोग नहीं कर सकते। और तीसरी दलील उनकी यह है कि उत्तरदायित्व को समझने में उनके अंदर कमी है।

अगर यह बातें सही हैं, जैसा मैंने सुना है, तो मैं समझता हूं कि तीनों दलीलें बड़ी (लचर) हैं। जहां तक इस बात का प्रश्न है कि संख्या बढ़ जाने से व्यय बढ़ जाएगा तो यह एक लोक तंत्रीय पद्धति का नियम है कि जिस को आप मत का अधिकार देंगे उसके लिए आपको व्यय की व्यवस्था करनी ही पड़ेगी, जहां तक यह सवाल है कि युवा पीढ़ी गांवों में रहने वाली अशिक्षित है और वह सही मतदान का सही उपयोग नहीं कर सकती तो मेरा कहना है कि अगर इस युक्ति को मान लिया जाए तो जो वृद्ध वर्ग है, अशिक्षित है वह कैसे मतदान का सही उपयोग करता है। जहां तक उत्तरदायित्व की कमी का सवाल है तो मेरा कहना यह है कि यह जिम्मेदारी भी सरकार की है। वह क्या

[श्री प्रकाशवीर शास्त्री]

नहीं अभी तक इस पीढी को इस योग्य बना पाई कि वह अपने उत्तरदायित्व को निभा सके। आपसे मैं यह कहना चाहता हूं कि जब तक आप किसी के कंधे पर बोझ न रखेंगे तब तक वह अपने कंधे पर बोझ सहना किस प्रकार सीखेगा। मैं समझता हूं य उक्तियां जो परस्पर में विरोधी हैं इन पर विचार करना चाहिए।

इस प्रजातंत्रीय चुनाव प्रणाली के ऊपर कुछ और देशों में भी परीक्षण हुआ है। उनमें कई देश इस प्रकार के हैं जे 18 वर्ष की आयु के युवक को मतदान का अधिकार दे चुके हैं। उनमें ब्रिटन है, अमरीका है, युगोस्लाविया है, पूर्वी जर्मनी है, रोमानिया है, आस्ट्रेलिया है। चुनाव के ढंग का तो मुझे पता नहीं लेकिन हमारी सरकार का जो मित्र राष्ट्र है रूस, उसने भी 18 वर्ष के आयु के व्यक्ति को मतदान की अधिकार दिया हुआ है फिर मैं यह समझ नहीं पा रहा हूं कि भारत वर्ष में 18 वर्ष की आयु के युवक को मतदान का अधिकार देने में क्यों हिचक की जा रही है।

मैं आपको बतला देना चाहता हूं कि आज की युवा पीढ़ी बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, महंगाई और भाई-भतीजावाद की शिकार है और अगर देर तक उसको मतदान से वंचित रखा गया तो इस की प्रतिक्रिया उनमें किस प्रकार उभरेगी, इस का अनुमान मैं आसानी से नहीं लगा सकता। आप और हम सब को मिल कर इस संबंध में सोचना चाहिए।

दूसरी बात, चुनाव प्रणाली में सुधार के लिए भ्रष्ट आचरण को कहना चाहता हूं। उप-सभापति महोदय, अभी कुछ दिन पहले किसी भ्रष्ट आचरण के सिलसिले में सर्वोच्च न्यायालय ने कुछ प्रमुख व्यक्तियों को दोषी पाया। उनमें आपके राज्य के डा० चेन्ना रेड्डी भी हैं और पंजाब के पिछले मुख्य मंत्री कामरेड रामकृष्ण भी हैं।

मध्य प्रदेश के भूतपूर्व मुख्य मंत्री श्री द्वारिका प्रसाद मिश्र थे। यानी 18 तो व्यक्ति वे हैं जो काउंटिंग फीगर हैं, जिनको अंगुलियों पर गिना जा सकता है। बाकी हाई कोर्टों और सुप्रीम कोर्ट में जिनको इस प्रकार के भ्रष्टाचारा का दोषी पाया गया उनकी संख्या ढ़ाई सौ और तीन सौ के लगभग बैठती है। ये लोग किस प्रकार के भ्रष्टाचार के दोषी पाये गये हैं, इस बारे में बताया गया है कि ये लोग सरकारी साधनों का दुरुपयोग करते पाए गये अपने सरकारी पद और अधिकारियों का दुरुपयोग करते रहे, मतदाताओं को प्रभावित करने के लिये घूस देने के नये-नये ढंग निकालते हैं और व्यय करने के लिए जो सीमा निश्चित है उससे अधिक व्यय करते हैं। अभी कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने श्री रिजक राम के केस में निर्णय दिया है और सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में यह स्पष्ट लिखा है कि श्री रिजक राम के चुनाव के अन्दर पुलिस का खुल कर प्रयोग किया गया। यह बात सर्वोच्च न्यायालय ने कही है, मैं नहीं कह रहा हूं। वहां पर पुलिस का प्रयोग किया गया। इसी तरह का एक दूसरा केस है जिसमें चीफ जस्टिस हिदायतुल्ला ने अपना निर्णय दिया है। यह केस था घासी राम बनाम डालसिंह का। श्री डालसिंह जब बिजली मंत्री थे और जब वे चुनाव मैदान में आए तो मंत्रियों के पास जो डिसक्रिशनरी ग्रान्ट अर्थात् स्वविवेकाधीन अनुदान देने की पद्धति होती है, उसका भी दुरुपयोग किया गया।

श्री रणबीर सिंह (हरियाणा) : श्री डाल सिंह जब मंत्री थे तो बी० एल० डी० के मेम्बर थे।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : मैं अपनी भूल सुधार करने के लिए तैयार हूं। लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि मैंने अपना भाषण प्रारम्भ ही यहां से किया था कि बी० एल० डी०, कांग्रेस, जनसंघ या कम्युनिस्ट पार्टी कोई भी क्यों न हो, मैं चाहता हूं कि अगर कोई भ्रष्टाचार करता

है तो वह भ्रष्ट आचरण के अन्तर्गत आता है और इसलिए मैंने प्रारम्भ में कहा कि इस प्रश्न पर दलीय दृष्टि से ऊपर उठ कर विचार किया जाय । जिस समय वे बिजली मंत्री थे, चौधरी साहब आप भूल गये हैं, वह कांग्रेस के ही सदस्य थे । उस समय बी० एल० डी० तो गर्भ में भी नहीं आई थी । श्री डाल सिंह के मामले में चीफ जस्टिस हिदायतुल्ला ने जो बात कही है, वह यह है कि इनको भ्रष्ट आचरण का दोषी तो नहीं पाया गया , लेकिन जो डिस-क्रिशनरी ग्रांट होती है, उसको उन्होंने अपने चुनाव क्षेत्र में जाकर व्यय किया । इस निर्णय में चीफ जस्टीस हिदायतुल्ला ने दो बातें लिखी हैं— (1) भ्रष्ट आचरण और दुष्ट आचरण उन्होंने लिखा है कि इन दोनों के बीच में एक पतली रेखा है और इस पतली रेखा के आधार पर मैं उन्हें भ्रष्ट आचरण का दोषी तो नहीं पाता, लेकिन चीफ जस्टीस हिदायतुला ने लिखा है कि जो व्यक्ति जिम्मेदार ओहदो में बैठे हुए हैं उनको इस प्रकार के दुष्ट आचारण से अपने को बचाना चाहिए अन्यथा यह बात आगे चल कर और भयंकर रूप धारण कर सकती है । लेकिन इस तरह से चुनावों के अन्दर पद का दुरुपयोग हुआ है । राजस्थान के अन्दर भी इस प्रकार के मामले हुएहैं । हमारे मित्र श्री भैरों सिंह शेखावत यहां पर बैठे हुए है । इनको अच्छी तरह से याद होगा कि राजस्थान के अंदर मेडता विधान सभा के निर्वाचन में एक सज्जन जो सरकारी दल से संबंधित थे, सुप्रीम कोर्ट में आए । सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया उसको मैं पढ़ कर आपको सुनाना चाहता हूं जिससे पता चलेगा कि सरकारी औहदों पर बैठे हुए लोग किस प्रकार से अपने पदों का दुरुपयोग करते है । इससे यह स्पष्ट हो जायेगा और यह भी पता चलेगा कि हमारी चुनाव प्रणाली आज भ्रष्टाचार की ओर तेजी से चली जा रही है । 'लिफाफे बदल कर ही हेरफेर किया जा सकता था । निर्वाचन अधि-कारी को मुद्रा और लाख बिना कठिनाई के उपलब्ध थी । इस प्रकार रबड़ की मुहरें और स्याही के पैड भी उपलब्ध थे । मत-पत्रों में हेर फेर याचिका दायर करने वाले प्रार्थी जो मंत्रि-मंडल के सदस्य थे उनके दुराग्रह के बिना नहीं किया जा सकता था । और न ही यह मेडता विधान मंडल क्षेत्र के निर्वाचन अधिकारी के सक्रिय सहयोग के बिना संभव हो सकता था जो व्यक्ति मत पत्रों में हेर फेर करने की दुस्साहस कर सकते थे उनके लिए लिफाफे उपलब्ध कर लेना कोई कठिन कार्य नहीं रहा होगा । यह बात सर्वोच्च न्यायालय ने कही है । अगर जिम्मे-दारियों के औहदों पर बैठे हुए लोग इस प्रकार से भ्रष्ट आचरण करने लगे तो आप बताइये कि सामान्य व्यक्ति इस प्रकार से इन भ्रष्ट आचरणों से बच सकता है ? मेरा कहना यह है कि सर्वोच्च न्यायालय ने जब इस प्रकार का निर्णय दिया है तो इस पर थोड़ा सा गम्भी-रता से सोचना चाहिए । कुछ दिन पूर्व उत्तर प्रदेश में विधान सभा के निर्वाचन हुए थे । वहां पर इस प्रकार की शिकायत सुनने को मिली कि जाली मत-पत्र पकड़े गये और थोड़ी संख्या में नहीं , बड़ी संख्या में पकड़े गये । गलत ढंग से बाहर से लोगों को बुलाया गया । मत-दाताओं को प्रभावित करने के लिए हरियाणा की सरकार आई, राजस्थान की सरकार आई, मध्य प्रदेश की सरकार आई । हो सकता है कि सत्ताधारी दल के होने के कारण वे लोग आए हों । लेकिन इन सब बातों के बावजूद उत्तर प्रदेश की जनता के अपना निर्णय दिया और सत्ताधारी दल के विपरित विरोधी दलों को 67 प्रतिशत मत दिये । यह दुर्भाग्य था विरोधी दलो का कि वे 10 जगह बंटे हुए थे ; उन 67 प्रतिशत मतों का सही उपयोग नहीं कर सके लेकिन जनता थी उसने सत्ताधारी दल के विपक्ष में निर्णय दिया । अभी हाल में आसाम में डारपेटो के चुनाव के अंदर क्या हुआ शाम तक चुनाव में जो प्रत्याशी पहले दिन जीत रहा था—संभवतः आपने भी आकाशवाणी में सुना हो उसमें रात्रि के समाचार बुलेटिन में आया था कि 28,000 मतों से विरोधी दल का प्रत्याशी

[श्री प्रकाशवीर शास्त्री]

आगे है--दूसरे दिन आता है कि सत्ताधारी दल का प्रत्याशी 40,000 से अधिक मतों से जीत जाता है। अब क्या हुआ क्या रात के रात करिश्मा आ, हम नहीं जानते। लेकिन वही सज्जन जो विरोधी दल के प्रत्याशी थे, श्री जयप्रकाश नारायण से मिलने आ रहे थे। तो उनके हाथ में जाली मत पत्रों का बण्डल था जो वह दिखाने जा रहे थे, उनको हवाई अड्डे पर गिरफ्तार करके पुलिस ले गई। मैं जानना चाहता हूँ इस समाचार में सत्यता कहां तक है, कहां तक नहीं है ? जरा श्री गोखले साहब इसको तह में जाकर विचार करें कि अगर हमारी चुनाव प्रणाली इसी तरह से दुषित होती चली जाएगी तो एक समय आएगा जब प्रजातंत्र की आधारभूत चुनाव पद्धति से लोगों का विश्वास उठता चला जाएगा।

सरकारी तंत्र के दुरुपयोग की भी कुछ चर्चा मैं करना चाहता हूं। एक तो आकाशवाणी का दुरुपयोग चुनाव के समय किस प्रकार से किया जाता है, वह है, दूसरे जो विमान हैं, हैलिकाप्टर हैं, गाडियां है, उनका किस प्रकार से दुरुपयोग किया जाता है। तीसरा रूप यह है कि कहीं कारखानों की नींव रखी जा रही है, कहीं रेल्वे लाईनों की बुनियाद रखी जा रही, इस तरह की पद्धति अपनाई जाती है। लेकिन इन सबसे अधिक भ्रष्ट तरीका जो चुनाव कराने की मशीनरी, चुनाव कराने का माध्यम है मेरा संकेत प्रशासकीय अधिकारियों से है, उनके द्वारा किस प्रकार से भ्रष्ट आचरण कराते हैं या जिस तरह से सरकारी तंत्र का दुरुपयोग होता है उसका भी नमुना देना चाहता हूं। कहीं तो यह होता है और अधिकारी जो निष्पक्ष ढंग से काम करें, ऊपर से आदेश दे दिया कि इसका ट्रांसफर करो। ऊपर किसी चुनाव क्षेत्र का व्यक्ति कहता है कि वह अधिकारी हमारे अनुकूल नहीं बैठेगा तो चुनाव क्षेत्र से उसका ट्रांसफर कर दिया जाता है। ऐसी भी घटनाएं देखने में आती हैं जहां सहयोग दिया तो प्रमोशन होना मामूली सी बात है, उसको पदोन्नति कर दी जाती है। ऐसी-ऐसी घटनायें सुनने में आती है कि उम्मीदवार से किसी ने अच्छा सहयोग किया तो उसकी वेतन वृद्धी कर दी जाती है। इससे बचने का एक ही प्रकार है कि हम अगर निर्वाचन-प्रणाली को शुद्ध स्वरूप देना चाहते हैं तो हमको चाहिए कि निर्वाचनों से दो मास पूर्व सरकार त्याग-पत्र दे दे राष्ट्रपति के हाथ में या किसी प्रकार को निपक्ष मशीनरी के हाथ में सत्ता दे दी जाय, जिससे जनता को सही निर्णय देने का अधिकार मिल सके और सरकारी तंत्र का किसी प्रकार से दुरुपयोग नहीं हो सके।

अगली बात मैं यह कहना चाहता हूं कि चुनावों में जो धन की भूमिका हमारी राजनीति को दूषित करती जा रही है, उसके संबंध में उन उदाहरणों को मैं विस्तार से नहीं देना चाहता। यदि दरभंगा से जो लोक सभा के लिए चुनाव हुआ था उसमें किस प्रकार धन की होली खेली गई, कटक में जो चुनाव हुआ उसमें किस प्रकार से धन की होली खेली गई और अभी जबलपुर में जहां से विपक्षी दल का उम्मीदवार लोक सभा में चुन कर आया वहां क्या स्थिति हुई ? मैं उसके विस्तार में नहीं जाना चाहता। लेकिन जो तथ्य सामने आए हैं। उन्हें आप भी स्वीकार करेंगे। जैसा वांचू समिति की रिपोर्ट है जो प्रत्यक्ष करों के बारे में उन्होंने दी, उसमें वांचू समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि यह जो काला धन देश में बढ़ता चला जा रहा है इसका एक बहुत बडा कारण यह है कि ये जो कंपनीज और कारखाने वाले है वे बहुत बड़ी संख्या में काला धन राजनैतिक पार्टियों को देते हैं, व उनको संरक्षण देते है; उसका परिणाम यह है कि देश में काला धन रुक नहीं रहा और उसकी संख्या बढ़ती जा रही है। जो निर्वाचन आयोग है उसने भी 1963 की रिपोर्ट में एक तथ्य दिया है। निर्वाचन आयोग के शब्द यह है कि निर्वाचन व्यय संबंधी वर्तमान उपबंध अनुपयुक्त हैं, उनमें भारी संशोधन अथवा उनमें पूर्णतया संशोधन होने की आवश्यकता

है। यह निर्वाचन आयोग का कथन है; पहले मैंने वांचू समिति की बात बताई थी। अब सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय क्या हुआ? अभी कुछ समय पहले दिल्ली से आने वाले एक लोक सभा सदस्य, श्री अमरनाथ चावला, जो भ्रष्ट आचरण के अंदर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अपने स्थान से हटाए गए हैं, उनके संबंध में सर्वोच्च न्यायालय ने जो निर्णय दिया है उसका एक पैरा मैं पढ़ कर सुनाना चाहता हूं :—

ऐसी स्थिति में जब कोई राशि इस प्रकार से खर्च की गई हो कि उसका किसी उम्मीदवार से संबंध बढ़ता है तो उस राशि को उस उम्मीदवार के खर्च में शामिल किया जा सकता है। इतना ही नहीं, आगे चल कर सर्वोच्च न्यायालय कहता है : कानून बनाने वालों को यह मन्शा कभी नहीं हो सकती कि जो काम व्यक्तिगत रूप से कोई उम्मीदवार नहीं कर सकता वही काम करने की उसकी पार्टी, उसके मित्र और उसके समर्थकों को खुली छुट दी जाए। यानी, सर्वोच्च न्यायालय ने एक स्पष्ट निर्णय दिया। मेरा अनुमान था कि वर्तमान सरकार कम से कम सर्वोच्च न्यायालय के इस निर्णय को मानेगी और निर्वाचन प्रणाली में सुधार करेगी। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय की स्याही सूखी नहीं थी कि राष्ट्रपति का आर्डिनेन्स जारी करवा दिया। और यह आर्डिनेंस जारी क्यों हुआ? क्योंकि यह कहा गया कि कुछ प्रकार की याचिकाएं न्यायालयों में विचाराधीन पड़ी हुई हैं जिसमें इसी प्रश्न को लेकर निर्णय न ले लिया जाय।

अब आप ही बतलाइये कि किसी भी शुद्ध प्रजातांत्रिक पद्धति से चलने वाले देश में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों का सम्मान किस प्रकार से किया जाना चाहिये और यहां पर किस प्रकार से उसको तिरस्कृत किया जाता है। इस तरह से दो तीन बातों द्वारा आर्डिनेंस जारी कर दिया जाता है। अध्यादेश में यह कहा गया है :

"किसी प्रतिकूल फैसले, आदेश या निर्णय के बावजूद राजनीतिक पार्टी अथवा लोगों की किसी अन्य संस्था या संघटन अथवा किसी व्यक्ति (उम्मीदवार या उसके चुनाव एजेंट से भिन्न) द्वारा किसी उम्मीदवार के चुनाव में खर्च किया गया या खर्च के लिए अनुमित धन स्वयं उम्मीदवार या उसके चुनाव एजेंट द्वारा चुनाव पर खर्च किया गया धन न तो कभी माना गया और न कभी माना जायेगा,"।

अब आप ही बतलाइये कि कितना बड़ा संविधान का उपहास है। सर्वोच्च न्यायालय ने एक बड़ा निर्णय स्पष्टता और निष्पक्षता के साथ दिया है, परन्तु सरकार इस चीज को स्वीकार करने के लिये तैयार नहीं है। अब मैंने यह भी सुना है कि जो कम्पनी वालों से चन्दा लेने पर प्रतिबन्ध लगा हुआ था, उसको सरकार खोलने पर विचार कर रही है। हालांकि प्रतिबन्ध के बाद भी सत्ताधारी दल को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन प्रतिबन्ध खुलने के बाद अधिक धनराशि विरोधी पक्ष को चला जायेगा और सत्ताधारी दल को नहीं मिलेगा यह कैसे सम्भव हो सकता है? तो मेरा कहना यह है कि इस प्रकार का जो प्रतिबन्ध है उसको और भी सख्त किया जाय ताकि चुनाव में धन की राशि जो अनुचित भूमिका है, वह हटाई जा सके। अब तो स्थिति यह हो गई है कि कम्पनी वाले पहले चन्दा ही देते थे और अब कम्पनी वाले लाखों-करोड़ों रुपया लगा लगा-कर चुनाव में सीधा हिस्सा लेने लगे और इस तरह से लोक सभा और राज्य सभा के चुनावों में उतरने लगे हैं। इस सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहता हूं कि सरकार को निष्पक्षता के साथ-साथ इस बात का पता लगाना चाहिये कि कोई भी धनपति, कोई भी पूंजीपति अपना धन चुनाव में न लगाये। इस तरह जो धन की वह गंगा में बहाता है, नदी में बहाता है। पर गंगा पवित्र है मैं गंगा की उपमा नहीं देना चाहता हूं। लेकिन कोई भी धनपति अगर धन को गन्दी नाली बहाता है और चुनाव में प्रत्यक्ष रूप से इस तरह से हिस्सा लेता है, तो इस तरह के व्यक्ति को जीवन भर चुनाव में खड़ा नहो

[श्री प्रकाशवीर शास्त्री]

सके इस तरह की व्यवस्था हमारे संविधान में होनी चाहिये । आज इस तरह से कुछ पूंजीपति करोड़ों रुपया खर्च करके हमारे प्रजातंत्र की प्रणाली को दूषित करना चाहते हैं ।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि जैसा सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय ने इस बात का संकेत दिया है कि पार्टियां भी अगर किसी व्यक्ति पर खर्च करती है, तो पार्टियों द्वारा किया गया खर्च भी उस चुनाव में जीते हुए प्रतिनिधि को अपने चुनाव के खर्च के विवरण में पेश करना चाहिये । इस तरह से पार्टी द्वारा जो खर्च उस व्यक्ति के लिये किया जाता है, वह उस व्यक्ति की जिम्मेदारी होगी कि वह उस खर्च को अपने चुनाव खर्च में सम्मिलित करें । दूसरी बात यह है कि पार्टियों के खर्च का इंटर्नल आडिट भी होना चाहिये । यह नहीं होना चाहिये कि पार्टियां जिस तरह से चाहे खर्च करें और उन पर किसी तरह का कोई प्रतिबन्ध न हो । मैं यह भी चाहता हूं कि पार्टियां जो धन संग्रह करती हैं और जो आमदनी के स्त्रोत हैं, उन्हें बताना चाहिये कि इतना धन कहां से आया ताकि चुनाव निष्पक्षता के साथ हो सकें । इस बात को हम सब लोगों को मिलकर सोचना चाहिए ।

श्री गोखले जी ने एक बात जो कुछ दिन पहिले लोक सभा और इस सदन में स्वीकार की थी कि सरकार गम्भीरता के साथ इस प्रश्न पर विचार कर रही है कि जो लोग चुनाव के अन्दर खड़े होते हैं, वे पूंजीपतियों पर निर्भर न रहें और वे अपनी ईमानदारी, अपनी सेवा और अपने चरित्र के बल पर अपने मतदाताओं का विश्वास प्राप्त कर सकें तथा जीतकर आ सकें, इस के लिये सरकार को अपनी ओर से उनको कुछ सहायता देनी चाहिये । जिस तरह से जर्मनी में और दूसरे देशों में होता है, उसी तरह की कुछ व्यवस्था यहां पर भी करनी चाहिये । आपने कहा कि इस सम्बन्ध में अभी कोई निर्णय नहीं हो पाया है, लेकिन मेरा कहना यह है कि आप कोई निर्णय न कर पाये परन्तु इतना तो निर्णय कम से कम किया जा सकता है — चाहे आप नकद राशि इस सम्बन्ध में न दे—लेकिन प्रकाशन सामग्री और पर्चियों के सम्बन्ध में जो खर्च होता है और दूसरे इस प्रकार के जो भारी व्यय करने पड़ते हैं, उसमें धन या सहायता की जा सकती है ।

अंत में, दो तीन बात कह कर मैं अपनी बात समाप्त कर दूंगा । पहली बात जो सबसे बड़ी है वह है निर्वाचन आयोग की भूमिका के बारे में । हमें ऐसा लग रहा है कि निर्वाचन आयोग एक स्वतंत्र संगठन न रहकर सहकारी तंत्र की भूमिका अदा कर रहा है । पहले यह पद्धति थी कि जब किसी बात के बारे में कोई निर्णय लेना होता था तो सभी राजनीतिक पार्टियों के दलों को विश्वास में ले लिया जाता था और उनका विश्वास प्राप्त करके निर्णय किया जाता था । अब कुछ दिनों से यह पद्धति समाप्त होती जा रही है । मैं इस सम्बन्ध में एक दो उदाहरण देना चाहता हूं और वह यह है कि प्रत्येक मतदान केन्द्रों के प्राप्त मतों की गणना एक साथ मिलकर की जाय । इतना बड़ा अव्यवहारिक निर्णय लिया गया है और इस बारे में निर्वाचन आयोग ने राजनीतिक दलों को विश्वास में लेना उपयुक्त नहीं समझा है ।

अभी कुछ दिन पहले निर्वाचन आयोग ने यह घोषणा की थी कि बिहार विधान सभा के रिक्त स्थानों की पूर्ति की जायेगी । इस संबंध में चुनाव की तारीख तक घोषित कर दी गई थी, लेकिन जब उनको यह पता लगा कि हवा का रुख उल्टा हो गया है, तो निर्वाचन आयोग ने फिर अपना आदेश वापस ले लिया । इसी तरह से कुछ दिन पहले जम्मू में चुनाव होने जा रहे थे , लेकिन चुनाव आयोग ने सात दिन पहिले अपने आदेश को वापस ले लिया ।

गुजरात विधान सभा के निर्वाचन के सम्बन्ध में लगता रहा अब हो, अब हो ,लेकि

हुआ नहीं । निर्वाचन आयोग की भूमिका गुजरात के सम्बन्ध में निष्पक्ष नहीं लगती । जिस प्रकार की निर्वाचन आयोग की भूमिका रही है उससे उसकी निष्पक्षता पर सन्देह होता चला जा रहा है । निर्वाचन के लिए जो मतदाता-सूचियां तैयार की जा रही हैं उसमें निर्वाचन आयोग जिस तरह पक्षपात से या एकपक्षीय रुख से काम कर रहा है उस प्रकार ऐसे स्वतंत्र संगठन को काम नहीं करना चाहिए । होना यह चाहिए था कि दस वर्ष के बाद जब नई जनगणना के आंकड़े आते है उनके आधार पर निर्वाचन के लिए मतदातासूचियां तैयार होगी अब 1976 में जब निर्वाचन होगा तो उसके लिए 71 की जनगणना के आधार पर मतदाता-सूचियां क्यों नहीं बनाई जा सकतीं ? लेकिन, उपसभापति जी, हो यह रहा है कि 1976 के निर्वाचनों के लिए 1971 की जो मतदाता-सूची है उसको आधार माना जा रहा है और 1971 की सूची 1965 की सूची को आधार मानकर तैयार की गई थी । इसका परिणाम यह होगा कि देश के करीब 5 करोड़ मतदाता अपने मत के अधिकार से वंचित रह जाएंगे । निर्वाचन आयोग ने जो यह निर्णय किया है यह निष्पक्ष निर्णय नहीं लगता । इससे लगता है कि निर्वाचन आयोग स्वतंत्र संगठन के रूप में न रहकर सरकारी तंत्र का हिस्सा बनता चला जा रहा है । इसलिए मेरा अपना सुझाव है कि निर्वाचन आयोग को एक बहु-सदस्यीय आयोग बनाना चाहिए, 'बहु-सदस्यीय' इसलिए भी कहना चाहता हूं क्योंकि संविधान की धारा 324 में स्पष्ट उल्लेख है कि निर्वाचन आयोग में मुख्य निर्वाचन आयुक्त के अतिरिक्त ऐसे सदस्य और दूसरे निर्वाचन आयुक्त होंगे कि जिन्हें समय समय पर राष्ट्रपति नियुक्त करेंगे। उसमें स्पष्ट उल्लेख है कि एक निर्वाचन आयुक्त नहीं होगा, बल्कि उसमें बहुवचन का प्रयोग किया गया है । मैं उस समय की बात कर रहा हूं जब निर्वाचन आयोग बना था, उस समय देश में 17 करोड़ मतदाता थे, लेकिन आज सरकारी आंकड़ों के अनुसार-यदि सही मतदाता सूची तयार न करें तो भी—32 करोड़ मतदाता होंगे । कितने मतदाता-केन्द्र बढ़ गए हैं, कितने मतदाता बढ़ गए हैं, कितनी समस्याएं बढ़ गई हैं ऐसे में एक निर्वाचन आयुक्त निष्पक्षता के साथ निर्वाचन की भूमिका का सम्पादन कर सके, इसमें मुझे सन्देह प्रतीत होता है । स्वयं निर्वाचन आयोग ने भी अपने सम्बन्ध में इस प्रकार की ही बात कहीं है जिससे स्पष्ट होता है कि निर्वाचन आयोग के सदस्यों की संख्या बढ़ाई जाय । डा० चेन्ना रेड्डी को जो 6 साल के लिए सुप्रीम कोर्ट ने डिबार किया और उसके ऊपर चेन्ना रेड्डी ने जो निर्वाचन आयोग के सामने अपील की उस सम्बन्ध में निर्वाचन आयोग ने जो शब्द कहे मैं उनको पढ़कर सुनाए देता हूं । उससे यह स्पष्ट होता है कि निर्वाचन आयुक्त भी चाहता है कि एक व्यक्ति के हाथ में इतना बड़ा आयोग न हो, बल्की वह चाहता है कि उसके सदस्यों की संख्या बढ़ाई जाय । निर्वाचन आयोग का कहना यह है—उच्चतम न्यायालय ने प्रमाणों की भलीभांति सूक्ष्म परीक्षा की है तथा उनका मूल्यांकन किया है या नहीं, यह जांचने के लिए मैं स्वयं को उच्चतर—उच्चतम न्यायालय नहीं मान सकता हूं । मैं सम्मानपूर्वक कहना चाहूंगा कि ऐसा करना देश के सर्वोच्च न्यायाधिकरण की प्रतिष्ठा के प्रति अपमानसूचक होगा । यह संविधान के अनुच्छेद 141 व अनुच्छेद 144 की भाषा, भाव और सिद्धांत के भी विरुद्ध होगा । क्योंकि वहां सर्वोच्च न्यायालय की बैंच ने निर्णय दिया और उसकी अपील एक व्यक्ति के सामने हो, निर्वाचन आयुक्त के सामने हो, उसके लिए मैं अपने को समर्थ नहीं मानता । निर्वाचन आयोग स्वयं चाहता है कि उसके सदस्यों की संख्या बढ़ाई जाय, लेकिन पता नहीं सरकार क्यों इस प्रश्न को रोके बैठी हुई है । एक तो मैं यह चाहता हूं कि निर्वाचन आयोग के सदस्यों की संख्या बढ़ायी जाय । दूसरे मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति की भी वही पद्धति रहनी चाहिए जो लोकपाल या लोकआयुक्त के बारे में है कि सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य न्यायाधीश और विरोधी दल के नेता, सब मिल कर

[श्री प्रकाशवीर शास्त्री]

लोकपाल और लोकआयुक्त की नियुक्ति करेंगे उसी प्रकार निर्वाचन आयोग बहु-सदस्यीय हो और सरकार उसकी नियुक्ति न करे, राष्ट्रपति न करे बल्कि सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश और विरोधी दल के नेता मिल कर नियुक्ति करें। ऐसी पद्धति अपनाई जाय जिससे देश में विश्वास हो सके कि यह जो निर्वाचन आयुक्त को अपने स्थान पर बैठाया गया है उनका बड़े निष्पक्ष भाव से चयन हुआ है। दूसरे मुख्य निर्वाचन आयुक्त भारत सरकार के मुख्य सचिवों में से नहीं रखा जाना चाहिए। मुख्य निर्वाचन आयुक्त को रिटायरमेंट के बाद फिर नए पद या नए स्थान भी नहीं मिलने चाहिएं। जैसा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के सम्बन्ध में है वही पद्धति इसके सम्बन्ध में भी रहनी चाहिए। इसके साथ ही मैं कहना चाहूंगा कि निर्वाचन आयोग को चाहिए कि सभी दलों को विश्वास में लेकर निर्णय ले।

अन्तिम बात जिसको कह कर मैं बैठ रहा हूं वह यह है कि जातिवाद की भूमिका चुनावों के अन्दर बढ़ती चली जा रही है। एक केस में सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में कहा है कि जातिवाद की भूमिका हमारी निर्वाचन प्रणाली को बहुत दूषित करती चली जा रही है।

उपसभापति जी, मैं एक बार राष्ट्रीय एकता परिषद का सदस्य था। उस की पहली बैठक जब दिल्ली में बुलाई गयी थी जवाहरलाल जी द्वारा तो उस समय डा० जाकिर हुसैन साहब बिहार के गवर्नर थे और वह भी उस के सदस्य के रूप में उस राष्ट्रीय एकता परिषद में भाग लेने आये थे। उस समय उन्होंने उस परिषद में कहा था कि तुम राष्ट्रीय एकता की बात करते हो लेकिन मौलाना आजाद को जिताने के लिये तुम को रामपुर या गुडगांवा की कांस्टीट्यूएंसी चाहिए जहां कि मुसलमानों का भारी बहुमत है। लेकिन हमारा दुर्भाग्य यह है कि हमारे चुनावों में या टिकट देते समय राजनीतिक पार्टियां भी इस प्रकार की दुर्बलता की शिकार बनती है। जब लोग चुनाव में जीत कर आते हैं तो मंत्रिमंडल का निर्माण करते समय इसी तरह की छोटी छोटी चीजों को आधार माना जाता है। तो मैं चाहता हूं कि इस संबंध में बहुत गंभीरता के साथ निर्णय लिया जाना चाहिए।

दूसरी बात जिस को कह कर मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूं यह है आनुपातिक प्रतिनिधित्व के बारे में। आनुपातिक प्रतिनिधित्व के संबंध में मैं केवल इतना ही कहना चाहूंगा कि कई देशों ने इस का परीक्षण किया है और परीक्षण करने के बाद वह उसमें कितना सफल रहे और कितना सफल नहीं रहे इस विषय में वह अभी तक पूरी तरह किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सके हैं। जिन देशों में यह पद्धति जारी है उसमें भी इस संबंध में काफी खोजें की जा रही है। तो मैं श्री गोखले से यह अवश्य चाहता हूं कि वह इस आनुपातिक प्रतिनिधित्व की चुनाव पद्धति को लागू करने के लिये विशेषज्ञों की एक समिति बनायें जो यह देखे कि इस देश में कहां तक यह पद्धति व्यावहारिक हो सकती है। मैं स्वयं इस पक्ष में हूं कि यदि आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति इस देश में जारी की जा सके तो जनता के सही मतों का प्रदर्शन उन की भावनाओं का और उनकी आशाओं और इच्छाओं का प्रतिनिधित्व संसद में और विधान मंडलों में हो सकता है। इसलिये इन सभी बातों की जानकारी करने के लिये और इन सभी बातों को सही रूप देने के लिये मेरी अपनी इच्छा है कि विधि मंत्री श्री गोखले एक निर्वाचन पद्धति के लिये एक राष्ट्रीय आयोग की नियुक्ति करें। लेकिन राष्ट्रीय आयोग की नियुक्ति करने से मेरा अभिप्राय यह नहीं है कि उस के लिये दो, तीन साल की अवधि दे दी जाय। उस का कम से कम तीन महीने के अंदर आप प्रति-वेदन ले लें और उस के बाद भारत की चुनाव पद्धति में इस प्रकार के सुधार करें जिससे आने वाली पीढ़ी और देश में जो मतदाता है या देश की

जो जनता है उसका चुनाव की पद्धति में विश्वास जम सके। इन शब्दों के साथ मैं अपने प्रस्ताव को प्रस्तुत करता हूं ।

श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूंडावत (राजस्थान): उपसभापति महोदय, जहां तक चुनावों में सुधारों का सवाल है हमारी पार्टी, हमारी सरकार का इस मामले में बड़ा स्पष्ट मत है कि चुनाव में जहां सुधारों की आवश्यकता हो वहां चुनावों में सुधार किये जायें । अभी शास्त्री जी ने यह बताया कि जे० पी० आन्दोलन का एक खास मुद्दा यह रहा है कि चुनाव पद्धति में सुधार किया जाय । उस के बारे में भी हमारी सरकार ने स्पष्ट कहा था कि आप लोग जो सुझाव देना चाहते हैं उनके बारे में विचार किया जा सकता है । जहां सुधारों की आवश्यकता हो हम सुधार करने के लिये तैयार हैं और मेरा अपना निजी मत भी है कि चुनाव पद्धति में कुछ सुधार करने की आवश्यकता अवश्य है । अभी कुछ महीने पहले इस संबंध में एक ज्वायंट सेलेक्ट कमेटी बैठी थी, उसमें भी उन्होंने मे आई रेक्वेस्ट यू फार दि आर्डर इन दि हाउस । (*Interruptions*) थोड़े से पार्लियामेंटरी एटीकेट की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहती हूं । अगर मेरी बात सुन लें तो मेहरबानी होगी । (*Interruptions*)

श्री राजनारायण (उत्तर प्रदेश) : आप अपने पड़ोसी से कहिये ।

श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूंडावत : पड़ोसी तो चुप रहेंगे । तो उपसभापति जी, चुनाव पद्धति में कुछ सुधार करने की आवश्यकता है और खासतौर से जहां तक खर्च का सवाल है हमारे यहां की आर्थिक स्थिति को देखते हुए चुनाव पर जिस तरह से खर्च होता है उसके लिये हमें कुछ ऐसे कदम उठाने चाहिएं जिससे कि चुनाव में खर्च कम हो । उसके संबंध में कुछ थोड़े से सुझाव भी दिये जा सकते है । जैसे इंग्लैंड में रायल प्रोक्लेमेशन के बाद केवल 19 दिन दिये जाते हैं और हमारे यहां 35 दिन दिये जाते हैं, उसके बजाय अगर 19 दिन कम होते हैं तो 35 दिन की अवधि को घटा कर 20 या 25 या 27 दिन कर सकते हैं और अगर इस तरह से इस अवधि को कम कर दिया जाय तो चुनाव खर्च में काफी कमी हो सकती है । दूसरे जबसे हमारे यहां नामिनेशन फाइल किये जाते हैं उस दिन से लेकर जब तक पोलिंग पूरी नहीं होती तब तक शराब पर बिल्कुल पाबन्दी लगा दी जानी चाहिए । चुनाव के दिनों में जिस तरह से शराब बांटी जाती है, जिस तरह से उसका दुरुपयोग होता है और चरित्र पर लोगों का उसका बुरा असर पड़ता है और खर्च में भी उसके कारण जो विशेषता आती है उसको ध्यान में रखते हुए उन दिनों में शराब पर बिल्कुल बन्दी हो जानी चाहिए ।

आजकल तीन दिन पहले रोका जाता है, बाकी बराबर चलता है । इसलिये मेरा सुझाव है कि जिस दिन नामिनेशन फाइल हों उसी दिन से लेकर पोलिंग के दिन तक शराब को बिल्कुल वर्जित कर दिया जाए ।

जब चुनावों के खर्चों को देखते हैं तो सबसे बड़ा सवाल आता है मोटर के पैट्रोल के खर्चे को लेकर । आगे जो चुनाव होने वाले हैं उनमें पेट्रोल के भाव को देखते हुए इसका खर्चा बहुत बढ़ जाएगा । तो कानून में चाहे जितनी रकम बांध दो केवल कानून में रकम बांध देने से खर्चे में कमी नहीं आयेगी । कानून में आप 10 हजार रखो, 20 हजार रखो, लेकिन जैसा आजकल होता है वैसा ही होता चला जाएगा । मैं जब पेट्रोल की ओर ध्यान दिलाती हूं तो मुझे कहना पड़ता है कि पार्टियां चुनावों के मौके पर जिस सरगर्मी के साथ जीपों को मैदान में दौड़ाती हैं उससे खर्चा बहुत ज्यादा हो जाता है । मैं आपके सामने एक उदाहरण रखना चाहती हूं ।

SHRI BHUPESH GUPTA (West Bengal) : How much did Gayatri Devi spend?

श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूंडावत : मैं अपने राज्य का एक उदाहरण आपके सामने रखना चाहती हूं। लोक सभा का जो दोसा से चुनाव हुआ था। उसमें हीरालाल सोमानी खड़े हुए थे। उनके पास 240 जीपें थीं। राजस्थान में जब के० के० बिड़ला चुनाव में उतरे तो उस क्षेत्र में 1400 बूथ थे। एक एक बूथ पर एक एक जीप रखी गई थी। मैं बिल्कुल गलत नहीं कह रही हूं। कई बूथ ऐसे थे जहां दो पार्टियां हो गई थीं। उनकी अलग अलग जीपें थीं . . .

(Interruptions)

श्री जगदीश प्रसाद माथुर (राजस्थान): रायबरेली का भी बता दीजिए . . .

(Interruption)

श्री लक्ष्मी कुमारी चूंडावत : मैं निवेदन करूंगी कि जब आपके किसी व्यक्ति के ऊपर आक्षेप किया जाता है तो एकदम सारे क्यों बोलने लगते हैं ? हम आक्षेप मुस्कराते हुए स्वीकार करते हैं तो आपमें इतनी भी शक्ति नहीं है कि आप हमारी बात सुन सकें ?

तो सभापति महोदय, मेरा कहना यह था कि 1400 जीपें वहां थीं। जहां जहां मतदाताओं में दो पार्टियां थीं वहां पर एक एक जीप और दे दी थी। बिड़ला जी के जो अधिकारी थे, मिल के अफसर थे, तथा बाहर से आये हुए थे उनकी सेवा के लिए अलग जीपें थीं जिनकी गिनती 60 के लगभग थी। जब प्रकाशवीर शास्त्री जी ने अभी जिक्र किया धन की होली जलाने का तो उनके ध्यान में यह पाइंट नहीं आया। इसका मुझे अफसोस है। जब उन्होंने धन की होली जलाने के बारे में उदाहरण दिये तो कहा कि रामगढ़ के राजा हेलीकोप्टर से चुनाव लड़े थे लेकिन उनको राजमाता ग्वालियर की याद नहीं आई। अच्छा होता कि जब आपने कहा था कि मैं किसी पोलिटिकल पार्टी का जिक्र नहीं करता हूं तो नाम गिनाते समय कुछ अपने भी नाम गिनाये होते, कुछ इधर के कुछ उधर के नाम गिना दिये होते। . . .

(Interruption)

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : मैं बाधा डालने की पद्धति पसन्द नहीं करता हूं, चूंकि आपने मेरा नाम लिया है, इसलिए स्पष्ट कर दूं कि मैंने आपकी पार्टी के भी किसी व्यक्ति का नाम नहीं लिया था। लेकिन अगर आप यह कहती हैं कि राजा रामगढ़ और रानी ग्वालियर ने हेलीकोप्टर से चुनाव लड़े तो इन दोनों के हेलीकोप्टर सरकारी नहीं थे और सरकारी हेलीकोप्टर और हवाई जहाज आपकी पार्टी इस्तेमाल करती है।

श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूंडावत : चाहे जो है, धन की होली जलाने का जिक्र किया। किस तरह से हुआ क्या हुआ यह सारे की सारी धन की होली है, जनता की सम्पत्ति है, सारा का सारा देश का माल है, सारे का सारा इसका संपर्क चुनाव आचरण से बैठता है। आपकी पार्टी हो या हमारी पार्टी हो या दूसरों की हो। दूसरे, प्रकाशवीर शास्त्री जी ने गम्भीरता के साथ पार्टियों के चुनाव खर्च की जांच करने की सुन्दर आयोजना बताई। मैं चाहती हूं कि आप जे० पी० आन्दोलन में जो करोड़ों रुपया लगा है, सबसे पहले इसी की जांच के लिए राजी हो जायें कि यह धन कहां से आ रहा है क्योंकि बिल्कुल ताजा मामला आज का है और आगे भी चलेगा।

और उसके बारे में कई तरह की बातें कही जाती हैं। यह भी कहा जाता है कि विदेशों से पैसा आता है। तो मेरा कहना है कि इसकी जांच होनी चाहिए। इसके लिए सारी पार्टियों का इन्टरनल डंग से आडिट किया जाये।

आपने चुनाव आन्दोलन की बात भी कही। एक तरफ तो आप बिहार में लोगों को चुनाव में जाने के लिए कह रहे हैं और दूसरी तरफ नागालैण्ड में जिनको निकाला गया है उनको वापस लेने की बात करते हैं। आप दोनों तरफ की बातें करते हैं। समझ में नहीं आता आप किस पक्ष में रह कर बात कर रहे हैं। सभापति महोदय, कुछ पार्टियों का बड़ा जोर है...

SHRI G. LAKSHMANAN (Tamil Nadu); Regarding JP movement's expenses, we have got a Government which is so incompetent that it is not able to find out from which source the money comes. You accept your incompetence.

SHRIMATI LAKSHMI KUMARi

सभापति महोदय, कुछ पार्टियों का यह ख्याल है कि जो मेम्बर चुन कर भेजे जाएं उनको वापस रिकाल किया जाए । यह बात कहने को तो सुन्दर लगती है, यह बात सुनने में लुभावनी लगती है और इसके ऊपर ताकत भी लग रही है लेकिन वास्तव में यह इम्प्रैक्टिकेबल है । प्रैक्टिस में यह नहीं आ सकती । एक एम० पी० के चुनाव में 10 लाख की जनसंख्या होती है । अगर उसके अप्लीकेशन के लिए रेफ्रैन्डम में देने के लिए 10 परसेंट व्यक्तियों के हस्ताक्षर कराए जाएं तो 40 हजार व्यक्तियों के हस्ताक्षर कराने पड़ेंगे । आप सोचिए 40 हजार व्यक्तियों के हस्ताक्षर कैसे कराए जाएंगे । अगर हस्ताक्षर करा लिए गए तो उनको वैरिफाई कौन करेगा । जिस ढंग से हमारे आन्दोलन चल रहे है उसको देखते हुए तो कितने ही झूठे हस्ताक्षर होंगे । कई अंगूठे होंगे, कई नाम झूठे लिखे जाएंगे तो क्या उनके हस्ताक्षर वैरिफाई किये जा सकेंगे । मैं समझती हूं फिर चुनाव पर चुनाव चलते जाएंगे । अभी जब कि रिकाल का सवाल नहीं है तब भी इन साल-डेढ साल में आप देख रहे हैं कि चुने हुए प्रतिनिधियों को कई तकलिफों से गुजरना पड़ रहा है । मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगी कि आप जानते है किस तरह से आन्ध्र में चुनी हुई महिला की साड़ी उतारी गई । इसी तरह मैं अब आपको गुजरात की बात भी बताना चाहती हूं । आप अच्छी तरह से जानते हैं कि गुजरात में जो चुने हुए प्रतिनिधि थे उनके घरवालों के बालबच्चों का घेराव किया गया था । उनके उपर पत्थर मारे गए । उनको अपनी सुरक्षा की मुश्किल हो गई ।

CHUNDAWAT : Thanks for your information.

इसी तरह से बिहार के अन्दर भी चुने हुए प्रतिनिधियों के साथ हुआ । आपके जो नेता है वे अहिंसा का नारा लगा कर कहते है कि आप किसी को थप्पड़ मार सकते हैं । अगर ऐसी अवस्था में रिकाल की पद्धति अपनाई जाएगी तो क्या परिस्थिति होगी आप स्वयं अंदाजा लगा लीजिए ।

जहां आपने सरकारी कर्मचारियों का जिक्र किया कि वे कई तरह से इधर उधर गडबड़ी करते हैं तो मैं इससे सहमत हूं । मुझे कई पोलिंग स्टेशन पर जाने का अवसर मिला । दुर्भाग्य है कि मैं दक्षिण भारत की बात नहीं कह सकती लेकिन उत्तर भारत, राजस्थान, मध्य प्रदेश के बारे में कह सकती हूं कि जो हमारे कर्मचारी क्लर्क काम करते हैं उसमें आर० एस० एस० की विचाराधारा के लोग घुस आए हैं और हर तरह से अपनी विचारधारा की पार्टी जनसंघ को फायदा पहुंचाते हैं । उनको बराबर फायदा पहुंचाने की कोशिश करते हैं । मैं अपने निजी अनुभव के आधार पर कहती हूं जब ऐसी विचार धारा वाले व्यक्ति पोलिंग स्टेशन पर बैठ जाते हैं और जब वे देखते हैं कि वोट देने वाले कांग्रेसी आ रहे हैं तो धीरे-धीरे पर्ची पर मोहर लगाना शुरू कर देते हैं ताकि समय बीतता जाए और वे लोग पूरे समय तक वोट न दे सकें । शास्त्री जी मैं अपना अनुभव बता रही हूं ।

दूसरे चुनावों में सबसे बड़ी दिक्कत जो है वह जातिवाद को लेकर, सम्प्रदायवाद को लेकर है । वे इसी तरह का वातावरण बना कर जनता की भावनाओं को अपनी तरफ मोड कर इलैक्शन में जीत जाते हैं लेकिन मैं कहना चाहती हूं कि इससे हमारे देश का हित नहीं हो रहा है बल्कि हानि ही हो रही है । कुछ पार्टियां हैं जो ऐसी जातिवाद के ऊपर चुनाव लड़ती है कुछ पार्टिया ऐसी हैं जो केवल कम्युनिलिज्म के ऊपर । कुछ लोग इस प्रकार के है जो चाहते हैं कि देश में जातिवाद कैसे भड़काया जाए, कम्युनिलिज्म कैसे भड़काया जाए, रेजनलिज्म कैस भडकाया जाए । ये चीजें चुनाव के

[श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूंडावत]

मामले में गहरी शत्रु हैं जो हमारे देश को अन्दर ही अन्दर से खोखली कर रही है। और जब जातिवाद का सवाल आया तो हमें श्री चरणसिंह जी की याद आती है। जब यहां पर सम्प्रदायिकता की बात आती है तो इन विरोधी दल के सदस्यों को अपनी ओर देखना चाहिए। सारी दुनिया जानती है कि ये लोग किस प्रकार का आचरण करते हैं। यहां पर हमारे विधि मंत्री जी बैठे हुए हैं। मैं उनका ध्यान इस बात की ओर आकर्षित करना चाहती हूं कि जब औरतें चुनाव मैदान में उतरती हैं तो उनको कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और कितना जलील होना पड़ता है। ईश्वर की कृपा से विरोधी दलों में औरतें नहीं हैं . . .

श्री सीताराम सिंह (बिहार) : माननीय सदस्या ने चौधरी चरण सिंह का नाम लिया है। मैं यह कहना चाहता हूं कि वे अपनी बात का प्रमाण दें अन्यथा अपने शब्दों को वापस लें। हम भी यह आरोप लगा सकते हैं कि इस देश में सबसे ज्यादा जातिवाद अगर किसी ने फैलाया है तो श्रीमती इंदिरा गांधी ने और इनके नेताओं ने फैलाया है।

श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूंडावत : हाथ कंगन को आरसी क्या। इस बारे में तो सभी लोग जानते हैं (**समय की घंटी**)। मैं आपका सिर्फ दो मिनट का समय और लूंगी। मैं यह निवेदन करना चाहती हूं कि चुनावों में महिलाओं के प्रति निन्दनीय प्रचार किया जाता है। उनके चरित्र हनन की कोशिश की जाती है। प्राइम मिनिस्टर तक को इन लोगों ने नहीं छोड़ा है। उनके खिलाफ जिस तरह के फोटो निकाले, वह भी सब को मालूम है। इसलिए मेरा निवेदन यह है कि स्त्रियों के साथ चुनावों में जिस प्रकार से व्यवहार किया जाता है वह बन्द किया जाना चाहिए। जैसा मैंने कहा, विरोधी दलों में औरतें चुनाव मैदान में नहीं आती हैं। जनसंघ के अन्दर सिर्फ ग्वालियर की महारानी है, लेकिन ये लोग सब उनकी ओट में शरण लेते हैं। अन्य कोई महिला विरोधी दलों में नहीं है। कांग्रेस पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो बहुत बड़े पैमाने पर महिलाओं को चुनाव मैदान में लाती है। मैं श्री प्रकाशवीर शास्त्री जी की इज्जत करती हूं। वे सज्जन हैं लेकिन वे अपनी पार्टी के लोगों को समझायें कि इस प्रकार के गलत ढंग चुनावों में वे न अपनायें।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहती हूं कि हमने यह देखा है कि चुनावों के अन्दर लड़कों की एक फौज तैयार कर ली जाती है और वे कुछ इस प्रकार का प्रचार करते है कि जो बहुत ही गलत है। कुछ ऐसी तस्वीरें बनायी जाती हैं, जो अनुचित प्रकार की होती है। गाय को काटते हुए दिखाया जाता है और यह देखने में भी आया है कि कांग्रेस वालों को गाय को काटते हुए दिखा रहे हैं। घर घर में जाकर प्रचार किया जाता है और औरतों से कहा जाता है कि अगर कांग्रेस को वोट दिया तो गाय को इस प्रकार से काट दिया जाएगा। मैं पूछना चाहती हूं कि क्या यह चुनाव लड़ने का तरीका है ?

श्री ओम प्रकाश त्यागी : आपने गाय और बछड़े का चुनाव चिन्ह क्यों लिया है ? गधा, घोड़ा, और ऊंट का चिन्ह क्यों नहीं लिया ?

श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूंडावत : मैं तो यह निवेदन करना चाहती हूं कि चुनावों के अन्दर भ्रामक ढंग से जो प्रचार किया जाता है उसके लिए भी कोई उपाय किये जाने चाहिएं। पिछले चुनावों के अन्दर आपको याद होगा किस प्रकार से गलत प्रचार किया गया था। बड़े जोर-शोर से यह प्रचार किया गया कि बैलेट पेपर और स्याही रूस से मंगाई गई है और बैलेट पेपर पर मुहर लगाई जाती है तो वह इधर से उधर चली जाती है। यह बात किसी साधारण आदमी ने नहीं कही, पार्टी के लीडरों ने कही। इस प्रकार से जनता में भ्रामक प्रचार किया जाता है। आज इस बीसवीं शताब्दी में भी इस प्रकार की बात कही जाती है। मैं चाहती हूं कि जब कोई कानून इस बारे में बनाया जाय तो उसके

साथ-साथ कोई आचार संहिता भी होनी चाहिए ताकि हमारे आचरण भी ऊंचे हों। हम आचरण संहिता अपनी पार्टी वालों की बनाएंगे ; उसके आधार पर चलेगा तभी चुनाव ठीक होंगे। तरह तरह के चुनाव क़ायदे बनाने से नहीं होगा।

(Time bell rings)

एक बात और कह दूं अगर आप इजाजत दें। रेडियो के प्रश्न को लेकर बार बार कहा जाता है ; शास्त्री जी बड़े संयत शब्दों से कहते हैं, कोई कोई तो आल इंडिया को इंदिरा रेडियो और न जाने किस किस ढंग से बोलते हैं। लेकिन अगर किसी को शिकायत होनी चाहिए तो कांग्रेस को होनी चाहिए, जनसंघ वालों को नहीं। अभी कुछ दिन पहले टी० वी० का प्रोग्राम आया था . . .

श्री राजनारायण : सदन का कुछ तो सदुपयोग होना चाहिए।

श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूंडावत : आप बोलते हैं तब क्या होता है ?

श्री राजनारायण : मैं पूछना चाहता हूं दुनिया के किसी प्रजातंत्र में सरकार के हाथ में रेडियो है ? आप लेक्चर दे रही हैं।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. B. RAIU) : Now, please complete your last point.

श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूंडावत : लास्ट पाइंट है। अभी हाल टी० वी० के ऊपर एक प्रोग्राम रखा गया था ऐटामिक इनर्जी को लेकर किया गया था ; उसमें पार्लियामेंट के 4 मेम्बरों का इंटरव्हयू था ; उसमें सबसे पहले अटल बिहारी बाजपेयी जी को रखा गया था, उसके बाद में दूसरी तीसरी पार्टी के थे, चौथे नंबर पर कांग्रेस के बी० एन० पी० सिंह थे। हम पूछना चाहते हैं ; यह किस आधार पर रखा गया ? आप अपोजिशन पार्टी के लीडर को रखें, मुझे इसमें कोई ऐतराज नहीं लेकिन प्रोटोकोल के हिसाब से क्या लोकसभा में जन संघ चौथे नंबर पर नहीं आता है ? या तो विरोधी दल का नेता पहले आता या कांग्रेस का पहले आता। श्री बी० एन० पी० सिंह जो कांग्रेस में हैं उन्हें इस बारे में एक्सपर्टाइज था लेकिन अटल बिहारी बाजपेयी तो एक्सपर्ट नहीं थे। लेकिन किस ढंग से उनको प्रथम स्थान पर दिखाया गया। आप ठंडे दिमाग़ से सोचिए। आप कुछ भी न होने पर शोर करते हैं, हम हकदार होते हुए भी चुप होकर आपकी बातों को सुनते हैं।

SHRI BHUPESH GUPTA (West Bengal): Mr. Vice-Chairman, Sir, twenty five years have passed since the commencement of the Constitution. I think it will be agreed on all hands that experience has underlined the necessity of electoral reform in our country. We are entirely in favour of electoral reform with a view to strengthening our democratic institution and the democratic process. Therefore, there is no question of any kind of reservation over the necessity of electoral reform. What, however, is relevant in this connection is as to what kind of reforms we want, in what perspective and how shall we set about the task. These are matters of importance and detail and are also of very, very crucial significance in this context. Mr. V ice-Chairman. I would, therefore, straightway suggest that the Government should not lose much time in calling a conference or a meeting of the leaders of the Opposition and of the ruling party in order to lake counsel with one another in a calm and quiet discussion so that, if possible, by consensus certain formulae could be found out and measures could be thought of for improving the situation, if not, at least by a majority. Anyhow, we are not in a position to shirk the responsibility any more. Life has underlined, as I said, the supreme urgency of radical overhauling of the electoral system and electoral process in our country.

[Vice-Chairman (Shri Yogendra Sharmai in the Chair.]

1 would, therefore, very humbly suggest that a meeting may be fixed at an early date, if possible next month, with

[Shri Bhupesh Gupta] a view to discussing the problem of electoral reforms. Obviously you cannot expect solutions to be found readily when divergent social interests, political approaches are there. One has to work hard in order to see how best we can amend the law and what best system we can adopt. Straightway I would make three suggestions which We can take.

As far as other matters are concerned, I will not prejudge the discussion either in my party or in other parties or together. This question should be seriously discussed within the party or together. This question should be seriously discussed within the party, from the parties, bilaterally and multilaterally, then between the Government and the Opposition so that a constructive approach could be evolved in order to arrive at a conclusion. But I think immediately we can proceed to come to an under-4 P.M. standing on the following things. In the first instance. Sir, I would like to suggest that the voting age should be reduced from 21 to 18. There is no justification whatsoever for sticking to the old provision in the Constitution when we know that the young men and women between the ages of 18 and 21 are playing an important part in the social, economic and political life of the country and that they are also taking part in elections without having the right to cast their vote. There is no party in the country, whether it is the ruling party or any other party, which does not take abundant support from the young people of that age group. And I do not see why they should be debarred from casting their vote or denied the voting right. I think we can immediately go in for this. It is a question of giving vitality to our democratic institution, giving dynamism by giving the voting right to the younger generation, some of whom are working to-day and some are studying. Well, these people should be brought into participation in the democratic process in a direct manner. I do not understand the Government's hesitation to accept this suggestion when all over the country, there is a strong public opinion that the voting age should be reduced to 18. I think we are unnecessarily debarring millions of young people from casting their vote or denying them the voting right which is their due. And this gives rise to discontent, dissatisfaction and anyhow it is not good for a living democratic institution to advance.

The second suggestion I would make, over which again there should not be any controversy really, is that we should go in for proportional representation. Sir, the present single member majority system is not good that way, compared to proportional representation. Proportional representation has many merits. If you read the books on the subject, you will find that many European politicians in the early days of the parliamentary institution had been, in one degree or another, in favour of proportional representation. I think it is very very necessary to-day in our country to have proportional representation so that different sections of political opinion have representation in the legislature according to their voting strength in the country. Then the legislatures, whether it is the Parliament or the State Assemblies, will better mirror and reflect the political currents and trends and correlation of political forces which, on the one hand, will tend to bring those who think alike together and, on the other, eliminate all kinds of opportunistic movements, opportunistic attempts to somehow or the other get some position in the legislature and so on. Many other evils are associated with the absence of proportional representation. Proportional representation will also reduce to a great extent money power in elections because people will be voting for the party. They will not be voting so much for the individual as for the party. Individuals, too, have an important part to play. I think in a dynamic democratic institution in a country like ours, where we have divergences in language and in many aspects of life and culture and, of course, in political life and where we have conflicting economic interests, it is better that the Parliament and the Assemblies reflect the life of the nation in a microcosm as it were. It also gives

people confidence. In proportional representation, no section of the community would fee] that that community has been excluded from having a representation in the legislature. Everybody's vote will have some value or the other. Depending upon the manner in which, you know, proportional representation is applied, it gives representation to all. Naturally, the political parties will have a predominant position rather than independents in this matter. This question we can discuss. Sir. Today, what is important is to come to an understanding as to whether we are going to stick on to the single-party-majority system or whether we are going to replace it by a system of proportional representation.

Sir, the system of proportional representation has many forms. You know, there is the List System, for example. Then, there is the Single Transferable Vote system and many other systems are there within the framework of proportional representation. This thing we can discuss. We can come to a conclusion as to which would be best suited to our country. Sir, we have our views on this matter. At the moment, what T am more concerned with is to impress upon the House the need for the replacement of the majority system of today, which is mainly the Anglo-Saxon system, by the system of proportional representation. That will ensure that no Opposition members will have any grievance that they are not adequately represented and the Government of the country will reflect the politicial situation in the country. Today. Sir. we have 70% of the seats which hav$_e$ been captured on the basis of only 40% to 45% of votes and this is not a very healthy situation and this is not very good in democratic institutions from the point of view of the voters and the people as a whole because this only means that we are installing a minority government and the govern-n that we install has the support of the minority only. Why should we not go in for proportional representation whereby we will have a government which will be a government which is based not only on a legislative majority. but also on the majority inside the country? In fact, Sir, legislative majority will not be there if, under the proportional representation system, in the event of no parly getting a majority, some parties representing the majority in the legislature and reflecting the majority outside come together. Therefore, I think, the system of proportional representation merits a very serious consideration for strengthening democracy, for expanding democracy and, above all. for involving the masses of the people and getting their participation in the democratic processes, in the working of the parliamentary system and in the functions of the State.

Then, Sir, the third point is recall-Sir, recall should be provided for in our Constitution. I may inform the House that when we were members of the Committee on Defections—I was a member of that Committee on behalf of my party and there were other members also, who are not now in the Parliament, like Prof. Ranga—Mr. Jayaprakash Narayan also was a member of that Committee. But, Sir, I may tell you and the House—it may be a news to you all, and this is no reflection on Mr. Jayaprakash Narayan—that Mr. Jayaprakash Narayan, at that time, opposed the provision for recall and this is in the proceedings of the Committee on Defections.

SHRI O. P. TYAGI fUttar Pradesh): Now, he is advocating recall.

SHRI BHUPESH GUPTA: f am glad that he is supporting the recall provision and you are also supporting it. At that time, Mr. Madhok was representing the Jana Sangh. But we mainly pressed for recall in that Committee. It was the CPI which stood bv and very strongly supported the provision for recall. We must not have a system whereby a show of force, threat or intimidation, we force people to resign their seats in the legislatures. We must have a system under which the electorate should be given the right to recall a member whom it does not like or who, it thinks, will betray its interests. It should be left to the electorate to decide

[Shri Bhupesh Gupta] and it should not be given to anybody else. But, Sir, **now** we find in Patna and in other places people coming from nobody knows where and asking somebody else to resign. Well, this is not recall. This is not recall at all. This is intimidation and coercion. This is forcible seizure of a legislature in order to get some out of the Legislative Assembly. It is not only a contravention of the democratic norms, but it is also an outrage on the democratic institutions. I hope. Sir, that my friends here will stoutly and strongly condemn this method of forcible removal of some persons and this use of coercive methods to get somebody out of the legislature whom they do not like. Something should be done. I am glad Shri Jaya-prakash Narayan has given up the idea of using forcible methods for people to resign. Leave it to the constituency concerned or the electorate concerned. Nobody else should have any say. That should be'the principle.

Another thing I would like to say is the power of big money today. Government should apply its mind to it. All of us should apply our mind to the problem of power of big money. Black money has invaded our democratic process and democratic system in a very dangerous manner. Sir, in a number of judgments, the Calcutta and Bombay High Courts—Mr. Justice Tandulkar and Mr. Chagla. who was at that time Chief Justice of Bombay, and Mr. Mukherjee of the Calcutta High Court— gave very strong warnings as what the consequences would be if the big money power and company funds were allowed to interfere with elections today. Now, we have seen what has happened. What has happened? This is money, money and money. Elections have become a flourishing business for some sections. It is also in suspense accounts of big monopolists. They give money. They get people elected from various political parties, so that vested interests could be served.

7 remember the unforgettable affidavit filed by Mr. J. R. D. Tata in a case where the confederation of Tata companies was challenged in the Bombay Court. Do you know what Tata said in his affidavit? He said : Yes, I paid Rs. 10 lakhs to Congress Party and a smaller amount to the Opposition parties, rightist parties, because both were needed in order to serve Tata's interests. This was stated by Tata in an affidavit. I think Mr. Justice Chagla or Mr. Justice Tandulkar, ex-Judges of the Bombay High Court, must remember it. ft was horrifying. Tatas did not deny it.

Sir. we know very well that some monopolists are helping the ruling parly and also some sections in the Opposition, not only for elections but also for other purposes. They are running with the hare and hunting with the hound, so long as they are in a position to hunt. This is the position. They do not run for nothing. They want to keep positions in Parliament and after the election they influence policies and ft democratic processes, and so on Big money has also post-election impact, in the sense that it begins then to tell upon the Government policies, influence Government policies in a reactionary direction, and so on.

Yesterday, Mr. Subramaniam made a speech. Do you believe that such a speech comes automatically? It is because of the big money, with whose help they win election. That's why there is an unwritten or a secret or an open understanding between big money and those who control the levers of political power that there should be some kind of give-and-take. They help the reactionary Opposition parties, so that they occupy the Treasury Benches. Therefore, what is their strategy? If the Government cannot be defeated, let the Government be filled with people who are amenable to big money, under the influence of big money. They throw all pretences and occupy the Treasury Benches. We are in the midst of this game today. Therefore, I say that big money is dangerous. It is a danger to democracy. The big monev does many things. You remember Theissen Krupps before the war. Hitler won elections

with the money of Theissen Krupps, took power, ruined Germany of that time and plunged the mankind into a bloody war, the consequences of which we know. Therefore, I appeal to the Government and to everybody else in this House that we shall be going and we shall not live for ever in this House. We shall be passing away. Let us create a situation in which our democratic institutions continue to flourish shedding their shortcomings and other reactionary pulls that retard its progress. With that perspective of the future and that understanding of the future, we have to leave some inheritance for those who step into our shoes and occupy our positions. We have to leave that inheritance with that outlook and spirit. I would appeal to you and through you to the House and all the Members to discuss the question of electoral reforms from a larger angle and from the perspective of the future of the nation. Our children and our children's children will come to occupy these places. Let it not be said when history comes to be written that we have left something soiled and sullied because of our petty, partisan and narrow considerations. We know for a fact that so long as monopoly capitalists and others remain in society, so long as communalism is allowed to continue in our country and so long as money power is there, elections will never be strictly free or strictly fair. But we are not pessimists to make elections as much free and fair in a given situation as possible. I think if all of us take counsel immediately in a dispassinate manner, keeping for the time being our quarrels outside and keeping in view the interests of millions of people and if we have the paramount consideration of the nation and all the masses, we will have succeeded in arriving at some conclusion. We are of the view that the democratic institutions should be strengthened for raising the down-trodden masses, those who are living in the villages without (and and without wages and those who live in the hovels of harijans neglected by society for years. We want this humanity of ours who are producing wealth of the land, to be elevated to the dignity of man **and** to **give** them the rightful place in society. We want him to come in on the basis of fraternity, brotherhood and secularism. We want the workers in the factory who are producing guns and weapons and many other articles of common consumption and who are building structures, plants and buildings and many other things, to make the nation great and prosperous. We want these people to be brought into the centre and the arena for making life worthwhile. That is way, Sir, democracy must strengthen the position of the down-trodden, humiliated and humble masses. The institutions which are anti-democratic, those who are anti-secular. those who stand for plunder and exploitation, all those forces which want to make our country dependent and those who want division in our national unity must be weakened. You cannot have both ways. You cannot strengthen democratic institutions merely by the so-called electoral reforms unless you have the ideology and the purpose and the mission of so shaping and forging your democratic institutions so that the masses come forward and take their rightful place in the society, the oppressor and the exploiter and the traducers of our national life and all those who stand against advance and progress are weakened and pushed back into the back waters of history. That is how we should hold the discussions and try to evolve a programme for electoral reforms by mutual exchange of opinion and above all. by learning from the experience of life. Life is a golden truth as everybody knows. Northing else is so sure a guide in this matter. Millions look to us that we shall give a lead in this matter to go forward and to make our democratic institutions not only secure and safe but stronger and better in the service of our great country and those great people.

Thank you.

SHRI S. S. MARTSWAMY (Tamil Nadu): Sir, thank you very much for giving me this opportunity because I am in a rush to catch my flight to Madras.

Sir. after this thundering speech of my friend. Mr. Bhupesh Gupta, my voice

[Shri S. S. Mariswamy] •would be very feeble. He has made very many points and I am in total agreement with him in regard to proportional representation and also in regard to reduction of voting age, etc. If proportional representation had been in force in 1957, the Congress would not •have come to power. So also in 1962 and 1967 they were in a minority, yet, they came to power. So, there must be some sort of an arrangement whereby every section or every shade of opinion is represented in the Government.

Sir, Mr. Prakash Vir Shastri has really given a very comprehensive Resolution and all the clauses are acceptable. There cannot be two opinions about any of these clauses, Sir. And I want to make one or two suggestions. From the time of filing the nomination and the day of the polling, there is a gap of one month or 30 days. Now, 30 days gap involves unnecessary expenses. If the candidates cannot afford to be in the field all the 30 days, naturally, as my friend, Mr. Bhupesh Gupta said they depend either on the party or certain individuals and then corruption starts. So, we must see that a gap of 15 days is allowed and not 30 days.

Sir, another thing is, my friend, Mr. Prakash Vir Shastri. was talking about the ballot papers, etc. He also mentioned about the Barpeta election. It is a good thing that when I read the *Motherland,* I found that a denial has come from the Rashtrapati Bhavan saying that our President had not made a trip to Assam for that Barpeta election. Another denial has also come from the same source that he had not participated in the Congress campaign. And it is really good that a denial has come. But there were so many rumours in spate. For example, the invitation cards printed for that campaign—which is now being called the writers' meet—carried the name of Mr. Jagjivan Ram and underneath was written, "The Chairman of the Congress Campaign Committee." And on that invitation, it appears that some people had gone and it is also accidental that our President has also . gone. I may be wrong and I am subject to correction. But this is what I heard. And this is also really painful for me to see an explanation coming from the Rashtrapati Bhavan. People living there should not give any room for anybody to talk about the Rashtrapati Bhavan. With all reluctance, 1 am speaking here. I do not want to drag in the name of Rashtrapati. We must see that some sort of standard js maintained. In this connection. Sir, I do not know as to how many Members in this House have read a book written by Mr. B. Dinesh Chatterjee of Calcutta, who was a Military Secretary of Rashtrapati Bhavan for a number of years. He has written a book called. "Thousand Days with Rajaji". If you go through that book, you will see what kind of standard they were keeping there. They have behaved in a manner that did not allow their name to be dragged outside anywhere, at any time. That sort of standard they had maintained. They were afraid to mingle with people. They were afraid to utter even a word which will lead to some misunderstanding. They also kept away totally from party politics. So, Sir, we must see that Rashtrapati's name is not dragged in and for that we must be ready to offer our cooperation. In the same manner the other side must also observe certain norms and see that the names are not unnecessarily dragged in.

Sir, my friend was talking about the influence of money power. It is a fact about which all of us have to hang our head in shame that some big business-houses are out to purchase the politicians and politicians are also out to get into the good books of the business-houses. So, there is a mutual arrangements between the politicians and the business-houses. And, our political system and election system in the country also allows to them to have this sort of a thing because when a politician goes to a Minister, the Minister is amenable to his request and if the politician goes on behalf of a business-house, naturally, whatever the business-house wants, it is done. So, the business-houses catch hold of the politicians, about which you have heard so much. All these things are happening in the country. I need

not digress much on the point. We must keep a very alert eye on the money power is not only the internal money power, external money power is also involved and we have money power from the foreign countries also. It is a well known fact that foreign powers are also interested in our elections and th;y are also pouring in money. The Government should be very vigilant about it. I am quite sure Mr. Gokhale will be very vigilant because he does not talk much and that means that he means business, unlike Mr. Subramaniam who is noted for his loose talk. Mr. Gokhale does not talk at all. So, I have a high regard for him. In these days it is very difficult to get people who talk less and do more work. So, Sir, in that manner I want him to keep an alert eye on the external money coming into the country. It comes in so many different ways; it comes in the form of booklets, it comes in the form of imports, it comes in the form of translation work and in so many different ways and when it comes it plays a havoc. Then, there are parties which would not touch money from the business-houses but the same parties would receive money from foreign sources and if we compare the two. the latter is more dangerous than the former. After all, the former is an indigenous fellow, a businessman, he will not run away to this side or that side. But, if they receive foreign money, they are bartering away their freedom and everything to the foreign country. Of course, Sir, both of them are evils, but this is a lesser evil compared to the other one, namely, receiving foreign money. The Government should be very wary about this matter and see that this is not done.

Coming to the All India Radio, Sir, I may be failing in my duty if I do not speak about the All India Radio a little. I speake on behalf of Mr. Bhupesh Gupta also. He may agree with me on this matter.

Sir. it has really become a great menace to the freedom of the people. If we turn to the All India Radio from 6 o'clock onward upto 10 o'clock, I think we hear the news, very colourful news, or we hear the spotlight commentary and that also is very colourful. I am not worried whether my name is mentioned there or not: as a matter of fact, they are very colourful in not mentioning my name, our names, and that includes Mr. Bhupesh Gupta also. But whenever Bhupesh Gupta supports the Government, they give long paragraphs and that does not inspire me to follow that line. He does not do this for publicity.

SHRI BHUPESH GUPTA : Bhupesh Gupta's name is mentioned because I am in the opposition but you and your Vajpayee are given so much time.

{Interruption)

SHRI S. S. MARISWAMY: It has got a very good effect. So, I would rather say that for at least two months— let them have the monopoly of the All India Radio for ten months—, at least for two months before the election, the time must be shared by all parties, *i.e.,* each and every party should have some share. For example, if Bhupesh Gupta is allowed to discuss or give commentary about the manifesto of his party, he must be given half an a hour and the next half an hour may be given to Mr. Borooah and then let Mr. Borooah come and give his opinion or his commentary about the Congress manifesto. Mr. Bhupesh Gupta on this side and Mr. Borooah on the other side, that would be really interesting, Sir, and, people would know what is what. In "the same manner, Mr. Rajnarain would also be given an opportunity to discuss the manifesto of the B.L.D. In that way the last two months must be given to all parties and the monopoly of the single party, i.e., the ruling party, must be broken. If these things are done, *viz.,* reduce the voting age from 21 to 18, reduce the gap by 15 days, ban the movement of vehicles, curb money-power, etc., I am quite sure that we will have fair elections. Also, proportional representation is very important and that should also be considered. Thank you.

SHRI VITHAL GADGIL (Maharashtra) : Mr. Vice-Chairman, Sir,

[Shri Vithal Gadgil] am very happy that Mr. Prakash Vir Shastri has brought forward this Resolution. 1 agree with him that it should be discussed on a non-party level. From what little I know of Mr. Prakash Vir Shastri, he is not really a Jana Sangh man. His seat may be on that side, but his place is on this side really speaking. He is an adopted person. . .

SHRI BHUPESH GUPTA: Are you indulging in character assassination?

. SHRI VITHAL GADGIL : No, no. I am paying him a compliment. He has raised a number of points and within the short time available to me I will not be able to speak on all the points. I shall mainly confine myself to two points, viz., election expenses and the system of voting. I shall try to be as non-partisan as possible, but before I go to these tv/o points. . .

SHRI O. P. TYAGI: Why this 'as far as possible'?

SHRI VITHAL GADGIL : You are in politics and I am in politics. I am at least honest enough to admit it. Before I go to my two points, I would like briefly to mention the two points he has made. One is about the conduct of the Government servants. My experience also has been like that of the member from Rajasthan. I was born in a political family. From my childhood I have seen elections at least in Maharashtra. As far as Maharashtra is concerned, you will excuse me if I say something which may appear to be on the basis of caste. In Maharashtra the position is that most of the Government servants are Brahmins and traditionally Brahmins have been anti-Congress. Historically they are more with the Jana Sangh than with any other party.

SHRI S. W. DHABE (Maharashtra): RSS.

SHRI VITHAL GADGIL : You are right.

SHRI O. P. TYAGI (Uttar Pradesh): Previously it was wholly in the hands of Brahmins, but it is now in the hands of non-Brahmins.

SHRI VITHAL GADGIL: My friend, Tyagiji, does not know what is said in Maharashtra. Humourously they say in Maharashtra : The Ministry is of Congress, the policy is of socialist party and the Government is of Jana Sangh. The almost entire lower civil servants are with the Jana Sangh. You do not know much about Maharashtra. Therefore, if there is any partiality, it is perhaps in favour of the other side rather than it be in favour of the Congress.

The second point he mentioned is about the promises that are being made just before elections. I find from my reading and experience that this is quite normal. In all democracies this is what is being done. Let us admit it. When Mr. Wilson goes on an election campaign, he makes certain announcements just on the eve of the election. Therefore, it is not unfair if we say before an election that we will do this tiling and that thing. Since Mr. Shastri is a deeply religious man, he will appreciate it more if I narrate a Marathi proverb. Unfortunately I am not a religious man. In Maharashtra on a particular day, on the Shravana day. Brahmins eat what is known as "Panchagavya" which consists of cow dung. It is on a particular day. I think the same is the case in politics. If one candidate gives promises that is corrupt practice, but if the party gives promises that is a political manifesto. Just as, if one man eats cow dung it is cow dung, but if several Brahmins eat it on the Shravana day it is "Shravani". Therefore, there is nothing wrong in giving promises and saying to the people that if we are re-elected and put in power, we will do this and that. As far as this point is concerned, I am sorry I am not in agreement with Mr. Shastri.

Now, with regard to election expenses, what is the position?

SHRI RAJNARAIN: You do not know that.

SHR1 VITHAL GADG1L: 1 know it very well. 1 was in charge of the Maharashtra Congress election campaign in 1971-72. As I have said, right from my childhood as I come from a political family I have seen nothing else except district Congress committees and elections. Therefore, I know much about elections.

As far as election expenses are concerned, I think a very wrong picture is given and a false image is created as if thousands and crores of rupees are spent by several political parties. This is very unfair to political workers. If you calculate the increase in the cost of petrol, the hire charges for the jeeps, the cost of posters and the requirements for the workers on the day of polling—1 think for the Lok Sabha you would hereafter require at least a lakh of rupees for legitimate expenses and for the Assembly you would require Rs. 35,000. Therefore, let us not say that the elections can b$_e$ fought with a ftw rupees. Let us see the political reality. It is not as if the Congress alone is guilty, as if we are in the docks. And it is not as if on the other side their jeeps are running on water, that their political workers live on air and their posters foil from heaven for them. They also have to spend. Therefore, let us admit this political reality that the legitimate expenditure would be about a lakh of rupees for the Lok Sabha and about Rs. 35,000 for the Assembly.

Now. the question is, how do we raise these resources? I think there are only three ways. The three ways are these. The first way in which the political parties can rais$_e$ this amount is by collection from the people. Now, this is all right in theory. Every political party says it. But the experience is that very little attempt is made to collect money from the people. Tyagiji may not like it. But my experience of one instance in Maharashtra is that a big Jana Sangh leader came to a provincial town, and it was announced that the collection was made from the people at the rate of Re. 1 each, and a sum of Rs. 1 lakh was presented. It was discovered later on that it was collected from a few persons. Therefore, let us admit thai this one rupee collection is not a practi. cal proposition.

There are these only two ways left One is to collect funds from the companies and the other is, that the State should pay. As far as collections from the companies are concerned, it is true that there are certain dangers in it which Mr. Bhupesh Gupta has already pointed out. I may also cite some observations which were made. And these observations are made by Sir Frederic Pollock in his book 'Principles of Contract'. This is what he says about election expenses—

> "Public and sound morality do therefore imperatively require that Courts should put the stamp of their disapprobation on every act and pronounce void every contract the ultimate or probable tendency of which would be to sully the purity or mislead the judgments of those to whom the high trust of legislation is confided."

The American Supreme Court has also observed that it is necessary to preserve the purity of elections against the use of aggregated wealth.

Now, these are all pronouncements which one will accept. But what is the experience? In England, in 1940 the Labour party brought a resolution that accounts of political parties should be checked, audited and supervised. What is the reality? Lord Woolton of the Conservative Party raised a huge sum of a million pounds as fund for fighting the election and what happened? No accounts were given by the Conservative Party or any other Party. In America, they passed what is known as the Taft Hartley Act in order to prohibit certain illegitimate expenditure by the political parties. Now, what is the experience in America? There was a Select Committee of the House of Re-oresentatives in 1949 and that Select Committee, known as the Buchanan j Committee, had found as a fact that I there had been a widespread evasion of this particular regulation.

Therefore, even in advanced democracies like England or America the

use

[Shri VithaJ Gadgil] experience is that political parties had avoided these regulations. That has been the experience of Germany and Japan also which are the more favoured countries of some parties. There also the experience has been that in spite of all the regulations and law, political parties do raise money which is not permissible by law. Therefore, let us see what can be done by companies. Tf companies are allowed to donate to political parties, then there should be three restrictions. One is that they should be allowed only a particular amount. Secondly, the donation should be made public by publishing in the balance sheet. My third suggestion is that they should be allowed to contribute to political parties provided they contribute in proportion to the seats held by each party in the Lok Sabha. They should be compelled to give to all political parties, and not to one party alone, on the basis of seats held by each party in the Lok Sabha.

The other alternative, as I said, is hy the Stat$_e$ to provide grants or election expenses for political parties. If this measure is taken no party will have to rely on some rich persons, and to that extent the influence of capitalists or rich persons will be prevented. For that purpose I had stated in my Budget speech that political parties will require about Rs. 100 crores every year and this money can be collected from the people by an election tax. According to my calculation the incidence would not come to even 50 paise per capita per year. These resources can be raised by the States for purposes of financing the elections and the people of India will not grudge this small price for purity of public life and purity in elections.

SHRI K. N. DHULAP (Maharashtra) : There should be right of recall.

SHRI VITHAL GADGIL : I am not personally in favour of the right of recall because, in the first place, it is impractical in a country like India. I need *not* elaborate it. I will be giving only one illustration. Supposing there I are three candidates and a thousand voters and the people vote in the fashion that one candidate gets 400 votes, the other gets 300 and the third also gets 300. Then the one who gets 400 votes will get elected. The other two candidates will come together and will claim that they represent 600 and will ask the first candidate to resign. Then two others will join and say that they represent 700.

SHRI BHUPESH GUPTA : Mr. Gadgil, you are a man of political wisdom. If you read this book you will find that it is for the legislature to lay down how the recall procedure should be adopted, ft is not as if the two will join against the first and claim a recall. . .

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JAGDISH PRASAD MATHUR): Mr. Bhupesh Gupta, let him continue.

SHRI VITHAL GADGIL : I am saying that from the point of view of purely political theory. Their position is more logical than going to the electorate again and asking whether they should be recalled or not.

The second point concerns the question raised by Shastriji about the system of voting. He made reference to the list system. The assumption is that the present system is wrong. And why is it wrong? Because the Congress are getting 45 or 44 per cent, of the votes and is ruling the country. I will not argue but I would like to ask certain questions. The question is this. When in 1967 the S.V.D. governments were formed in the various States, the parties in the S.V.D. did not have more than 35 or 40 per cent, of the votes. But nobody at that time offered to resign since they did not represent the majority.

The second question I would ,ask is : What was the percentage of voting in 1971? The total votes polled were 55 per cent. Are we going to assume that 45 per cent, persons who did not vote are completely against the Congress? If the sam$_e$ proportion is with the Congress as those who voted then arithmetically it can be shown that more than 51 per cent, of the people in this

country are with the Congress. Therefore, this arithmatics is false although it may appear to be very attractive. I will invite your attention to another aspect which will clinch the point. I tried to analyse the figures of 1971 elections and what do we find? Out of 352 Congress Members in the Lok Sabha 262 won by more than 51 per cent, votes. Out of eight Congress (O) Members, only four were elected by a majority of votes. In the case of Jan Sangh, out of 21. only 10 were elected by more than 51 per cent of the votes. In the case of CPM. only 5 out of 25 were elected by a majority of the votes. In the case of the SSP, two out of three and in the case of the PSP, both the PSP Lok Sabha Members were elected by minority votes. Not only that, Mr. Kachwai, Mr. H. M. Patel, Mr. Danda-wate, Mr. Samar Mukherjee and Mr. S. N. Mishra, all these leaders were elected by a minority of votes. Therefore, if they have the right to speak on behalf of the people, although in their own constituencies they have got less than 50 per cent of the votes, surely the Congress has an equal right to say that we represent the majority.

Then Mr. Bhupesh Gupta has advocated that we should adopt the system of proportional representation. Now, what is the experience? And the question is whether it is a practical proposition in a country where there is 80 per cent, illiteracy. I would only give him two figures. In the elections to the Maharashtra Legislative Council from the Graduates' constituency, there were 372 invalid votes. In the teachers' constituency, the invalid votes were 361 although the total vote was only about 10,000. . .

SHRI BHUPESH GUPTA : These are single transferable votes.

SHRI VITHAL GADGIL : The system is so complicated. . .

SHRI BHUPESH GUPTA; You are a very clever person. You have chosen the single transferable vote. Suppose it is the list system, the party symbol is there and the party preference is accepted. There is no difficulty.

SHRI VITHAL GADGIL: The system is so complicated that an average man in India will find it difficult to vote. Even in the Maharashtra Bar Council election, where lawyers vote, who are supposed to know the law, the invalid votes were 54. Therefore, it is too complicated. Sir, and we are not yet ripe for that system. Therefore, I am not in agreement with Mr. Bhupesh Gupta.

श्री राजनारायण : लायर्स ने वोट जान बूझकर ग़लत दिया था ।

SHRI VITHAL GADGIL: Yes, I think Mr. Rajnarain must have advised them.

SHRI BHUPESH GUPTA: Mr. Gadgil, suppose the list system is there. The list will show the symbol of the party. We say "vote for the list", this list or that list, not two lists. What is the difficulty? After the election, on the basis of the votes polled, seats will be distributed. He need not go and give his preference.

SHRI VITHAL GADGIL: There also if you do not have a list of candidates but a list of parties, then power will be concentrated in a few persons in the political party.

SHRI BHUPESH GUPTA: Again you are wrong. I do not know why a knowledgeable person like you. . .

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JAGDISH PRASAD MATHUR): He is not agreeing with your point.

श्री राजनारायण : भूपेश जी अपनी जगह पर ठीक हैं । भूपेश जी चाहते है कि डेमोक्रेसी में इंडिविजुअल के हाथ में ताकद नहीं देनी चाहिए ।

SHRI BHUPESH GUPTA: I am not saying that individuals should not be there.

SHRI VITHAL GADGIL: I say, the suggested system is full of complications. Even in the list system if you give the names of candidates, then also the question arises as to how people will vote. In Australia, for example,

[Shri Vithal Gadgil] they give the names alphabetically. They call it the "donkey vote". The result is, the man whose name comes first in the alphabetical order gets elected. In such a situation, perhaps you will find that Mr. Advani wins and Mr. Subra-maniam Swamy loses because people tend to vote for the first man. Therefore, let us not adopt a very complicated system. The present system, by and large, is good.

SHRI RAJNARAIN: It is not complicated.

SHRI BHUPESH GUPTA: Preference is determined by the party. Sir, I am now mentioning my last point.

The last point, Sir, is that our friends on that side do not know why the Congress wins. The Congress wins because it has an able leadership and it is an all-India organisation and it is a dedicated organisation. . .

DR. RAMKRIPAL SINHA: Able in what? Dedicated to what?

SHRI VISWANATHA MENON: Able in doing what?

SHRI VITHAL GADGIL : Therefore, Sir, instead of accepting this fact, they say that money has won. If we prove that money has not won, they say then that caste has won. If we prove that caste has not won, they say that threats have won. If we prove that threats have not won, then they say that the system is wrong and, if you prove that the system is right, they will say that the elections were not held in a proper atmosphere. Now, Sir, atmosphere is something for which you do not have any objective test. Therefore, Sir, **let** them organise themselves on a good programme, let them go to the people with a programme and then let them rule and we do not have any objection at all. But they should not find any excuses and then say that the system is wrong, that the elections were unfair, that money-power won and so on and so forth. All kinds of excuses of this nature are given and such excuses should not be given.

Sir, although I agree with Mr. Prakash Vir Shastri that the system requires **a** second look and a re-examination, personally I do not accept his major promise. Than, you, Sir.

MESSAGE FROM THE LOK SABHA

The Appropriation Bill, 1975

SECRETARY-GENERAL: Sir, I have to report to the House the following message from the Lok Sabha signed by the Secretary-General of the Lok Sabha:

> "In accordance with the provisions of Rule 96 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha, I am directed to enclose herewith the Appropriation Bill, 1975, as passed by Lok Sabha at its sitting held on the 20th March, 1975.
>
> The Speaker has certified that this Bill is a money Bill within the meaning of article 110 of the Constitution of India."

Sir, I lay the Bill on the Table.

RESOLUTION REGARDING STEPS TO CHECK THE EVER-INCREASING USE OF MONEY POWER AND MISUSE OF GOVERNMENT MACHINERY IN ELECTIONS— *Contd.*

श्री महादेव प्रसाद वर्मा (बिहार) : उपसभापति जी, यह चुनाव सम्बन्धी विधेयक पर विचार करने के पहले दो तीन जो आधारभूत चीजें है उनको अगर हम ध्यान में नहीं रखते हैं तो सारा हिसाब खराब हो जाएगा। आधारभूत चीज यह है कि इस देश की जिन्दगी और मौत हमारे जनतंत्र की जिन्दगी और मौत के साथ नत्थी है। इसलिए इसके ऊपर विचार करने के लिए कभी हमको पार्टी और अपनी दलगत भावनाओं को रखना ही नहीं चाहिए जिसकी अपील प्रकाशवीर शास्त्री जी ने की है।